


पूनीराम फर्द अहकाम तेजाराम
बनाम

यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 191/2023
द/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.05.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद में अप्रार्थी सं० 1 लगा 3 की सम्यक तामील मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख०नं० 217 रकबा 1.4162 व ख०नं० 218 रकबा 1.2139 है० स्थित ग्राम झींझा पटवार हल्का देवगांव भू०अ०नि० देवगांव तह० तूंगा जिला जयपुर के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 209/2023 उनवान पूनीराम बनाम तेजाराम के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।</p>	


सहायक कलक्टर
बस्सी, जिला जयपुर